न्यायालय प्रथम अपील अधिकारी एंव जिला कलेक्टर,टोंक

प्रकरण संख्या 23/2026

श्री लोकेश मीणा निवासी 45, मीणों का मोहल्ला, स्कूल के पास, ग्राम खेडली बालाजी, ग्राम पंचायत बिलोता तहसील अलीगढ जिला टोंक ––अपीलार्थी

बनाम

राज्य लोक सूचना अधिकारी एंव अति0 जिला कलेक्टर टोंक ––प्रत्यर्थी

अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

निर्णय **दिनांक 15.04.2026**

प्रकरण का संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी ने सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत आनॅलाईन अपील पेश की है। अपीलार्थी द्वारा राज्य लोक सूचना अधिकारी एंव अति0 जिला कलेक्टर टोंक को आवेदन पत्र दिनांक 25.02.2026 को प्रेषित/प्रस्तुत कर निम्न वर्णित सूचना चाही गई:–

1. बर्खास्तगी/निलंबन: श्री सुरेश मीणा (प्रशासक/सरपंच) को प्रथम दृष्टया दोषी मानते हुए तत्कान प्रभाव सें पद सें बर्खास्त/निलंबित किया जाए।
2. रिकवरी (बसूली): मृत व्यक्ति के नाम से किए गए समस्त फर्जी भुगतानों एवं अन्य अनियमितताओं की पूरी राशि दोषियों से वसूल की जाए।
3. FIR दर्ज कराने का आदेश प्रकरण की आपराधिक प्रकृति को देखते हुए संबंधित पुलिस थाने को सीधी FIR दर्ज करने हेतु आदेशित किया जाए तथा डिजिटल रिकॉर्ड से छेड़छाड़ की पृथक जांच कराई जाए।
4. परिवादी की सुरक्षा: परिवादी एवं उसके परिवार की व्यक्तिगत सुरक्षा सुनिश्चित की जाए तथा मेरे विरुद्ध किसी भी प्रकार की धमकी, दबाव, प्रताड़ना या प्रतिशोधात्मक कार्रवाई पर तत्काल रोक लगाई जाए।
5. संरक्षण देने वाले अधिकारियों की भूमिका की जांच: पूर्व में दर्ज शिकायतों के बावजूद कार्रवाई न होने एवं आरोपी को संरक्षण दिए जाने के संबंध में जिम्मेदार अधिकारियों/कर्मचारियों की भूमिका की भी जांच कराई जाए तथा दोषी पाए जाने पर उनके विरुद्ध भी नियमानुसार कार्रवाई की जाए।
6. उच्च स्तरीय स्वतंत्र जांच: मस्टररोल संख्या 11430 से संबंधित जॉब कार्ड, वेजलिस्ट एवं बैंक ट्रांजेक्शन का स्वतंत्र व समयबद्ध ऑडिट कराया जाए।
7. कार्रवाई की सूचना: इस परिवाद पर की गई समस्त कार्रवाई की लिखित सूचना मुझे उपलब्ध कराई जाए।

अपीलार्थी को निर्धारित समयावधि में सूचना उपलब्ध नहीं होने पर प्रत्यर्थी के विरूद्ध अपील प्रस्तुत की गई है। अपील दर्ज रजिस्टर कर अपील प्रा0पत्र की छायाप्रति राज्य लोक सूचना अधिकारी एंव अति0 जिला कलेक्टर टोंक को पत्र कमांक 416 दिनांक 09.03.2026 को प्रेषित कर रिपोर्ट तलब की गई। अपीलार्थी को सुनवाई हेतु तलब किया गया। अपीलान्ट उपस्थित नही हुए। राज्य लोक सूचना अधिकारी एंव अति0 जिला कलेक्टर टोंक ने पत्र कमांक 120 दिनांक 24.03.2026 से जवाब प्रेषित किया है कि प्रार्थी द्वारा चाही गई सूचनां का संबंध लोक सूचना अधिकारी एंव मुख्य कार्यकारी

823

जिला कलेक्टर
टोंक

अधिकारी, जिला परिषद टोंक कार्यालय से होने से उनके पत्र कमांक 175 दिनांक 27.02.2026 से प्रार्थना पत्र अन्तरित करते हुए पत्र कमांक 176 दिनांक 27.02.2026 से अपीलान्ट को सूचित किया गया है। लोक सूचना अधिकारी एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद टोंक के प्रथम अपीलेट अधिकारी अधोहस्ताक्षरकर्ता नहीं है। अपीलान्ट मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद टोंक के प्रथम अपीलेट अधिकारी के समक्ष नियमानुसार अपील प्रस्तुत करने हेतु स्वतंत्र है। अतः अपील में कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं होने से अपील अस्वीकार योग्य है।

फलतः अपील अपीलाण्ट अस्वीकार की जाती है। निर्णय की प्रति राज्य लोक सूचना अधिकारी एंव अति0 जिला कलेक्टर टोंक तथा अपीलार्थी को प्रेषित की जावे।

(टीना डाबी)
प्रथम अपीलीय अधिकारी
एंव जिला कलेक्टर टोंक
जिला कलेक्टर
टोंक